

Written by अवनिश पांडेय
Monday, 18 June 2018 06:40

: 000000 0000000 0000 000000 0000000 00 000000 00 00 -05 0000 00 00 0000000000
00000 00, 13 0000 00 0000 000000 0000 : 000000 00 000000 000000000000 0000 00000
000000-0000000000 : 0000 000000000 00 00000 00 0000 0000000000 0000000 00 00 000000000
0000 000000 :

0000000 00000000

0000000000 : नौकरशाही के शीर्ष क्षेत्र में पार्श्व प्रवेश के संस्थागत बनाने का मोदी सरकार का नरिणय देश के सभी क्षेत्रों में नौकरशाही की गंभीरता और लालपीताशाही को रोकने तथा भारतीय नौकरशाही में कुशलता को बढ़ाने के लिए है। वर्ष 2005 दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सविलि सेवाओं में लेटरल प्रवेश (पार्श्व प्रवेश) की अनुशंसा की थी। लेकिन तब इस प्रस्ताव का भारी विरोध मुख्य रूप से आई एम एस अधिकारियों द्वारा किया गया था।

यह नरिणय मुख्य रूप से नौकरशाही के कॉर्पोरेट हितों के अनुरूप बनाने के लिए है। जिससे आगे चलकर आम जनता का हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को क्षति पहुंच सकती है। पार्श्व प्रवेश के द्वारा आये नौकरशाह और यूपीएससी के द्वारा चयनित नौकरशाहों के बीच आपसी टकराव बढ़ेगी जो समस्त कार्यपालिका की कार्यप्रणाली को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नुकसान पहुंचा सकती है। अतीत का अनुभव और अन्य देशों के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इससे नजीकरण का गति में और तीव्रता आगी।

इस तरह का कदम कम योग्यता वाले लेकिन राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के लिए पछिला दरवाजा खोलकर उच्चतम स्तर पर नरिणय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सविलि सेवक जिन्होंने बहुत ही प्रतिस्पर्धी प्रकृति के माध्यम से सस्टिम में प्रवेश किया है, हतोत्साहित होंगे क्योंकि इन संयुक्त सचिव (जेएस) स्तरों पर उनके पदोन्नति संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार कुछ चयनित कंपनियों और नगिमों के सीईओ को पक्ष ले सकती है और ये लोग आगे चलकर सार्वजनिक हित में नरिणय लेने की बजाय अपनी कंपनी के हित में नरिणय लेना प्रारंभ कर देंगे।

पार्श्व मार्ग से प्रवेश पाये नौकरशाहों से अनुशासन, जवाबदेही और प्रतिबद्धता की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास सदैव एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है। जो ज्यादा दबाव में हो, वो त्यागपत्र देकर अपने दायित्व से मुक्त हो।